न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रैक) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी– संजय कुमार, R.A.S
वाद संख्या 36/2023
अन्तर्गत धारा 88, 53 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. अशोक कुमार पुत्र श्री हरी चन्द जाति अरोड़ा निवासी खाटलबाना तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. राकेश कुमार पुत्र श्री हरी चन्द जाति अरोड़ा निवासी खाट लवाना तहसील व जिला श्रीगंगानगर . . . वादीगण

व ना म

1. श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी श्री हरी चन्द जाति जाति अरोड़ा निवासी खाट लवाना तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
2. राजरानी पुत्री श्री हरी चन्द पत्नी श्री भारतभूषण जाति अरोड़ा निवासी खाट लबाना तहसील व जिला श्रीगंगानगर हाल पुरानी आबादी श्रीगंगानगर
3. सीमा रानी पुत्री श्री हरी चन्द पत्नी श्री नरेन्द्र कुमार जाति अरोड़ा निवासी खाट लबाना तहसील व जिला श्रीगंगानगर
4. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर।

... प्रतिवादीगण

उपस्थित–	श्री संजय जनवेजा	(अधिवक्ता वादीगण)
	श्री विशाल आहुजा	(प्रति. संख्या 1 ता 3)
	पैरोकार राज	(प्रतिवादी–4)

दिनांक 19 मई, 2023

–निर्णय–

वाद पत्र के तथ्यों के अनुसार वादीगण संख्या 1 व 2 वादी के सगे भाई है तथा प्रतिवादीया संख्या 1 वादीगण की माता तथा प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 वादीगण की सगी बहिनें हैं। वादीगण के पिता स्व0 श्री हरी चन्द पुत्र श्री चानन राम जाति अरोड़ा निवासी खाट लबाना तहसील व जिला श्रीगंगानगर के नाम से चक 2 जे बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 107/69 का मुरब्बा नम्बर 37 की कुल 1.482 है0 नहरी कृषि भूमि दर्ज कागजात माल हैं। वादीगण के पिता का देहान्त हो चुका है। जिनके वादी संख्या 1 व 2 एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 कुल 5 विधिक उत्तराधिकारी हैं। नकल जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है। वादीगण के पिता ने अपने जीवनकाल में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 की सहमति लेकर अपनी उक्त भूमि का बंटवारा कर दिया था तथा उक्त भूमि घरू मौखिक बंटवारा के अनुसार वादीगण को दे दी थी तथा अर्सा दराज से वादीगण उक्त भूमि पर काबिज हैं तथा काश्त कर रहें है तथा मौका पर वादीगण की फसले खड़ी हैं। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 से कहा कि वह घरू बंटवारानामा के अनुसार कृषि भूमि वादीगण के नाम करवा देवे तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 ने कहा कि आप घरू बंटवारा अनुसार काश्त करो, जब भी तुम चाहोगे, भूमि तुम्हारे नाम करवा देंगी। इसी विश्वास पर वादीगण ने अपने उक्त रकबा में काफी मेहनत करके व रूपया खर्च करके उक्त रकबा में सुधार कार्य करवाए हैं। कुछ दिन पूर्व वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 से कहा कि वह वादीगण के हिस्सा की भूमि वादीगण के नाम से अमल दरामद करवा देवे, पहले तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 टाल मटोल करते रहे मगर दिनांक 01.03.2023 को प्रतिवादीगण ने वादीगण को घरू बंटवारानामा अनुसार भूमि नाम करवाने से इन्कार कर दिया है। यही वाद कारण है। उक्त हालातों मे उक्त जददी जायदाद में से वादीगण अपने अधिकारों की घोषणा करवाना चाहतें है। इस प्रकार वादीगण द्वारा भूमि, जो वाद पत्र में वर्णित है में से वादीगण को उनके हिस्सा अनुसार खातेदार घोषित किया जाने व पृथक से लगान कायम करने का आदेश फरमाने का निवेदन किया। वाद पत्र के तथ्यों के समर्थन में जमाबन्दी

सहायक कलक्टर एव
कार्यापालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

सम्बत 2073 से 2076 चक 2 जे बड़ा व खातेदार हरी चन्द का मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रस्तुत की गई। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 उपस्थित, प्रतिवादी संख्या 4 राज्य पक्ष की ओर से राज्यप्रतिनिधि उपस्थित। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा स्वंय उपस्थित आकर राजीनामा दिनांक 19.05.2023 प्रस्तुत किया। वादीगण की शिनाख्त अधिवक्ता श्री संजय जनवेजा के द्वारा तथा प्रतिवादीगण की शिनाख्त अधिवक्ता अधिवक्ता श्री विशाल आहूजा के द्वारा की गई। प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 द्वारा हक परित्याग के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत किए गए। इसके अतिरिक्त वादी एवं प्रतिवादीगण के पहचान के दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियां संलग्न कर प्रस्तुत की गई। अतः राजीनामा प्रमाणित किया गया।

प्रतिवादी संख्या 4 राज्य पक्ष की ओर से पैरोकार राज द्वारा जवाब वाद पत्र प्रस्तुत किया गया।

अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गई।

पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 19.05.2023, पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए प्रस्तुत बहस का मनन किया गया। ऐसी स्थिति में, वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत अभिलेख जमाबन्दी सम्बत 2070 से 2073 चक 2 जे बड़ा के आधार पर एवम् पारिवारिक बंटवारा/राजीनामा अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण का वाद पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

अतः वाद पत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 19.05.2023 के अनुसार वादीगण अशोक कुमार व राकेश कुमार पि0 हरीचन्द व प्रतिवादिया संख्या 1 श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी हरीचन्द तीनों को चक 2 जे बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 107/69 का मुरब्बा नम्बर 37 की कुल 1.482 है0 नहरी कृषि भूमि का बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया है तथा तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त भूमि राजस्व अभिलेख में से हरीचन्द का नाम कमलजन कर वादीगण संख्या 1 व 2 तथा प्रतिवादिया संख्या 1 का नाम दर्ज कर अमल दरामद करें। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी तथा उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग-अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी। जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा। खर्चा फरीकैन अपना अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किए जाने पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 19 मई 2023 को जारी किया गया।

संजय कुमार
(आर. ए. एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एव
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

डिक्री

(Order 20 Rule 6-7 CPC)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रैक) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– संजय कुमार R.A.S.

1. अशोक कुमार पुत्र श्री हरी चन्द जाति अरोड़ा निवासी खाटलबाना तह0 व जिला श्रीगंगानगर
2. राकेश कुमार पुत्र श्री हरी चन्द जाति अरोड़ा निवासी खाट लबाना तह0 व जिला श्रीगंगानगर

. . वादीगण

ब ना म

1. श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी श्री हरी चन्द जाति अरोड़ा निवासी खाटलबाना तह0 श्रीगंगानगर।
2. राजरानी पुत्री श्री हरी चन्द पत्नी श्री भारतभूषण जाति अरोड़ा निवासी खाट लबाना तह0 श्रीगंगानगर हाल पुरानी आबादी श्रीगंगानगर
3. सीमा रानी पुत्री श्री हरीचन्द पत्नी श्री नरेन्द्रकुमार जाति अरोड़ा नि0 खाटलबाना तह. श्रीगंगानगर
4. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर।

... प्रतिवादीगण

उपस्थित– श्री संजय जनवेजा (अधिवक्ता वादीगण)
श्री विशाल आहुजा (प्रति. संख्या 1 ता 3)
पैरोकार राज (प्रतिवादी–4)

वाद संख्या 36 /2023

अर्न्तगत धारा 88, 53 राज. काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण में न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक, श्रीगंगानगर द्वारा अधिवक्ता वादी श्री संजय जनवेजा, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 श्री विशाल आहूजा व पैरोकार राज प्रतिवादी संख्या 4 की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि:–

वाद पत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 19.05.2023 के अनुसार वादीगण अशोक कुमार व राकेश कुमार पि0 हरीचन्द व प्रतिवादिया संख्या 1 श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी हरीचन्द तीनों को चक 2 जे बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 107/69 का मुरब्बा नम्बर 37 की कुल 1.482 है0 नहरी कृषि भूमि का बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया है तथा तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त भूमि राजस्व अभिलेख में से हरीचन्द का नाम कमलजन कर वादीगण संख्या 1 व 2 तथा प्रतिवादिया संख्या 1 का नाम दर्ज कर अमल दरामद करें। अतः डिक्री जारी की जाती है। रूपये ....शून्य....वास्त....शून्य.....खर्चा इस प्रकरण पर हुए व्यय मय ब्याज...शून्य....दर रूपये...शून्य... आज की तिथि से वसूली दिवस तक अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 23 मई 2023 को जारी की गई।

संजय कुमार
(आर. ए. एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

वादी	राशि (00.00)	प्रतिवादी	राशि (00.00)
स्टाम्प वाद पत्र	00.00	स्टाम्प वकालतनामा	00.00
स्टाम्प वकालतनामा	00.00	स्टाम्प आवेदन पत्र	00.00
स्टाम्प अभिलेखीय साक्ष्य	00.00	वकील शुल्क	00.00
वकील शुल्क	00.00	व्यय साक्षीगण	00.00
व्यय साक्षीगण	00.00	आयुक्त शुल्क	00.00
आयुक्त शुल्क	00.00	व्यय इजराय	00.00
कुल	00.00	कुल	00.00

संजय कुमार
(आर. ए. एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner